

335 करोड़ के फर्जी इनवॉइस घोटाले का भंडाफोड़

सरगना गिरफ्तार, डीजीजीआई जबलपुर की बड़ी कार्रवाई, 58 करोड़ का फर्जी आईटीसी बेनकाब

जबलपुर, 14 अक्टूबर. डीजीजीआई (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेल्जिजेंस) की जबलपुर स्थित रीजनल यूनिट, ने जीएसटी चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है.

यह घोटाला फर्जी इनवॉइस जारी कर और उनके माध्यम से आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुल 335 करोड़ से अधिक के फर्जी बिल जारी किए गए थे। इन फर्जी बिलों के जरिए करीब 58 करोड़ से ज्यादा का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फर्जी



लेनदेन किया गया था। डीजीजीआई जबलपुर की टीम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल छापेमारी की कार्रवाई की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

कई फर्मों की जांच, कई और हो सकते हैं बेनकाब: सूत्रों

के अनुसार, एजेंसी द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और संबंधित अन्य फर्मों की भी जांच की जा रही है जो इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकती हैं। इस फर्जीवाड़े में कई और रडार में आ गए हैं जिसकी जांच पड़ताल चल रही है मामले में कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं।

सरकार को करोड़ों की पहुंचाई हानि: ऐसे फर्जी आईटीसी नेटवर्क के जरिए सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही थी। यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कई फर्जी फर्मों के नाम पर इनवॉइस जारी किए थे, जिनका कोई वास्तविक व्यापारिक लेनदेन नहीं था.

समिति प्रबंधक पुराने ऋण के लिए बना रहे दबाव

जबलपुर, 14 अक्टूबर. भारतीय किसान संगठन ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला सहकारी समिति निरंदपुर के तत्कालीन प्रबंधक को शिकायत की. संगठन ने आरोप लगाया कि निरंदपुर समिति द्वारा उन किसानों को भी ऋण चुकाने के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिनका कर्ज पूर्ववर्ती सरकार द्वारा माफ किया जा चुका है. किसान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि समिति के तत्कालीन प्रबंधक द्वारा किसानों को ऋण अनुमानित राशि की मांग सूचना पत्र जारी किए गए हैं. यह पत्र उन किसानों को भी दिए जा रहे हैं, जिनका नाम राज्य सरकार द्वारा घोषित कर्जमाफी सूची में शामिल था.

घर तोड़ने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

नरसिंहपुर, 14 अक्टूबर. जिले के गोटेगांव जनपद पंचायत कार्यालय में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल एवं कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन एवम एडीएम संघमित्रा गौतम को सौंपा. ज्ञापन में ग्राम बगासपुर में लघु उद्योग विभाग एवं शासन द्वारा गरीब परिवारों के मकान तोड़े जाने के प्रस्ताव का विरोध किया गया और मांग की गई कि इन मकानों को अतिक्रमण न मानते हुए इन्हें न तोड़ा जाए. कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में और इन्हें उजाड़ना मानवता के खिलाफ कदम होगा. कांग्रेस ने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी खेल मैदान निर्माण के दौरान करीब 60-70 गरीब मजदूर परिवारों के मकान तोड़े गए थे.



सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए इन मकानों को अतिक्रमण घोषित किया जा रहा है. ज्ञापन में कहा गया कि यह गरीब मजदूर परिवारों के एकमात्र आवास हैं और इन्हें उजाड़ना मानवता के खिलाफ कदम होगा. कांग्रेस ने यह भी उल्लेख किया कि पहले भी खेल मैदान निर्माण के दौरान करीब 60-70 गरीब मजदूर परिवारों के मकान तोड़े गए थे.

बीना विधायक निर्मला सप्रे के विरुद्ध याचिका पर 29 अक्टूबर को सुनवाई

हाईकोर्ट के समक्ष बीना से विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल के विरुद्ध विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंधार की याचिका पर अब सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी. इससे पहले हाईकोर्ट तय करेगा कि मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में या डिवीजन बेंच में नियत किया जाये. उल्लेखनीय है कि उमंग सिंधार ने कांग्रेस की बीना से विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य करने की मांग की है. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी पक्षकार बनाया गया है. याचिका के अनुसार पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष तोमर को शिकायत की गई थी. लेकिन निर्धारित 90 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई. इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका में कांग्रेस विधायक सप्रे पर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया गया है. लोकसभा चुनाव के दौरान विरोधी दल भाजपा का प्रचार करते नजर आने का तथ्य रेखांकित किया गया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कांग्रेस विधायक सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं. इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है. दलबदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है. इसलिए सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए.

साबूदाना-पोहा के गोदाम में लगी आग

जबलपुर, 14 अक्टूबर. लालमाटी शुक्ला होटल काचघर ओमकला मंदिर रोड में स्थित जय भोले ट्रेडर्स के गोदाम में बीती देर रात शॉर्ट -सर्किट की वजह से आग भड़क उठी जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

आग की ऊंची-ऊंची लपटें देख आसपास मौजूद लोगों ने दुकानदार और फायर ब्रिगेड को सूचना देकर मौके पर बुलाया. जानकारी के अनुसार गोदाम में आग लगने के बाद करंट भी फैल गया था जिसकी सूचना लोगों द्वारा तत्काल बिजली विभाग को दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के जिम्मेदारों ने सबसे पहले विद्युत लाइन काटी जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. बताया जा रहा है कि आग लगने के साथ फैले करंट में थोड़ी सी भी



अगर लापरवाही होती तो किसी बड़ी दुर्घटना से इंकार नहीं किया जा सकता था. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है. इस दौरान फायर ब्रिगेड के दो वाहनों के जरिए आग को करीब डेढ़ घंटे के दरम्यान बुझाया गया. लेकिन इस बीच गोदाम में रखा पोहा, साबूदाना, ड्राईफ्रूट्स, नारियल, मसाले पूरी तरह जलकर खाक हो गए. स्थानीय लोगों का कहना था कि फायर अमले द्वारा समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो गोदाम में जिन 4 कमरों में ये आग

हाल ही रखा था माल

इस संबंध में दुकानदार दिनेश लेखवानी ने नवभारत को बताया कि अग्नि हादसे में उसे करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है. दुकानदार के अनुसार दीवाली में विक्रय करने के लिए उसने कुछ दिन पहले ही पूरा माल लाकर गोदाम में रखा था जो कि आग लगने की वजह से पूरी तरह खाक हो गया है. हादसे के संबंध में दिनेश लेखवानी, फायर स्टेशन कर्मचारी नगर निगम ने नवभारत को बताया कि काचघर ओमकला मंदिर रोड स्थित जयभोले ट्रेडर्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी जिसे डेढ़ घंटे में बुझा लिया गया. आग बुझाने में दो फायर वाहनों का उपयोग किया गया है.

भड़की थी वो आसपास मौजूद अन्य दुकानों व घरों को भी अपनी आगोश में ले लेती.

अंबेडकर विवाद को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च

अनिल मिश्रा के घर तैनात किया सुरक्षा गार्ड

ग्वालियर, 14 अक्टूबर. भारत रत्न डॉ. अंबेडकर पर वकील अनिल मिश्रा की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को 15 अक्टूबर को देख लेने की चेतावनी के बीच पुलिस और प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कड़ी तैयारी की है. जिले के सभी थानों में पुलिस बल ने फ्लैग मार्च निकाला. एएसएसपी धर्मवीर सिंह ने बीती रात पुलिस लाइन में 500 के बल को अचानक वॉर्डेंट देकर बुलाया और क्लिक रिस्पांस को परखा. एएसएसपी ने बताया कि अभी तक



15 अक्टूबर की अवधि में किसी भी कार्यक्रम के लिए न किसी ने मंजूरी मांगी है और न प्रशासन ने दी है. चंबल के 5 जिलों में 30 चेकिंग नाकों पर बल तैनात कर चेकिंग शुरू कर दी गई है. वकील अनिल मिश्रा के घर सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिया गया है. गौतलब है पुलिस और प्रशासन ने 2 अप्रैल 2018 को हुई घटना को ध्यान में

बेटियों के साथ मिलकर मां बेच रही थी नशीली कफ सिरप

रीवा, 14 अक्टूबर, सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध नशीली कफ सिरप बिक्री करते हुए एक महिला और उ उसकी दो बेटियों को गिरफ्तार किया है. लम्बे समय से नशीली कफ सिरप की बिक्री कर रही थी. जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 101 शीशी नशीली कफ सिरप के साथ पकड़ा है. मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की धोबिया टंकी हरिजन बस्ती मे कुसुम उर्फ कोईली साकेत अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर से अबैध नशीली कफ सिरप की बिक्री कर रही है. मुखबिर की सूचना के आधार पर

सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मौके से धोबिया टंकी हरिजन बस्ती पहुंचकर कुसुम साकेत उर्फ कोईली के घर मे रेड कर्यवाही की गई जो कुसुम उर्फ कोईली एवं 2 बेटियों के रसोई घर के कमरे की दीवार पर लगे पेपर को हटाकर देखा गया तो दीवाल मे बने दो गुट्टे के अंदर अबैध नशीली कफ सिरप छिपाकर रखी गई थी. जिसे बरामद कर गिनती की गई जो कुल 101 शीशी नशीली कफ सिरप होना पाई गई. धारा एनडीपीओ एक्ट, 5/13 म.प्र. ड्रग कन्ट्रोल एक्ट का कायम कर आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया.

जिप सदस्य ने अफसरशाही पर उठाए सवाल

खुद आवेदन देकर आमजन की पीड़ा रखी

मंडला, 14 अक्टूबर. जिला मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में उस वक्त खास दृश्य देखने को मिला जब जिला पंचायत सदस्य एवं सभापति सहकारिता एवं उद्योग विभाग ललिता धुर्वे स्वयं आम नागरिक की भांति आवेदन लेकर पहुंचीं. विभागीय कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए उन्होंने प्रशासन और अधिकारियों के रवैये को कठघरे में खड़ा किया. धुर्वे ने कहा कि जब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के पत्रों और शिकायतों का जवाब विभागीय अधिकारी नहीं देते, तो आमजन



की सुनवाई की क्या उम्मीद की जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर वे लंबे समय से लगातार पत्राचार कर रही हैं, लेकिन अधिकारिक स्तर पर उन्हें टालमटोल और बहकावे के उत्तर ही मिल रहे हैं. लिखित जवाब मांगने पर भी अधिकारी ठोस जवाब देने से बचते हैं. उन्होंने उद्योग विभाग पर पारदर्शिता की

कमी और जवाबदेही से बचने का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न यूनियंस की स्थिति की जानकारी अब तक नहीं दी गई, जबकि लगातार पत्राचार हो चुका है. साथ ही अल्प बचत सहकारी बैंक में हुए वित्तीय घोटाले पर भी कार्रवाई की मांग कई बार कर चुकी हैं, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है.

दमोह के फर्जी कैथ लैब मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

दमोह, 14 अक्टूबर. मिशन अस्पताल में संचालित फर्जी कैथ लैब में एंजियोग्राफी के दौरान 7 मरीजों की हुई मौत थी जिसमें एक आरोपी जमानत पर 7 अभी भी फरार है. दमोह के मिशन अस्पताल में संचालित फर्जी कैथ लैब मामले में दमोह पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन समिति के आठ फरार आरोपियों में से एक विजय लैब को गिरफ्तार कर लिया है. जहां मंगलवार शाम को न्यायालय में पेश किया गया. जहां आरोपी विजय को पुलिस द्वारा मांगी गई. 5 दिन की रिमांड प्राप्त हुई. आरोपी की सुरक्षा में सीएसपी एचआर पांडे, कोतवाली टीआई मनीष कुमार,

टीआई देहात रचना मिश्रा, सागर नाका चौकी प्रभारी रोहित द्विवेदी सहित पुलिस लगी रही. आरोपी को उत्तराखंड के किसी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल इस मामले में सात आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और एक आरोपी असीम न्यूटन जमानत पर है. इसी मामले में फर्जी डॉक्टर के आरोप झेल रहे डॉक्टर एनर्जन केम को भी पुलिस ने यूपी से लियासत में लिया था. जो फिलहाल जेल में है. पुलिस ने इस मामले में चालान भी पेश कर चुकी है. जो फरार आरोपी है, उन पर दमोह एसपी शरतकीर्ति सोमवंशी ने तीन 3- 3000 का इनाम भी घोषित किया है.

पैर धुलवाकर पानी पीने वालों पर हो कार्यवाही

दमोह की घटना को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

जबलपुर, 14 अक्टूबर. हाईकोर्ट ने दमोह जिले में मंदिर के अंदर ओबीसी वर्ग के युवक से एक अन्य युवक के पैर धुलवाने तथा गंदा पानी पीने को मजबूर किये जाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई की. हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही के आदेश जारी किये. युगलपीठ ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बार-बार होने वाली जाति संबंधित हिंसा व भेदभाव पूर्ण कार्यवाही स्तब्ध करने वाली है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपनी स्वतंत्र पहचान का दावा कर



रहे है. इस पर नियंत्रण नहीं किया जाता है तो डेढ़ सदी के भीतर खुद को हिन्दू कहने वाले लोग आपस में लड़कर अस्तित्वहीन हो जायेंगे. गौरतलब है कि दमोह जिले के ग्राम सतरिया में घटित घटना के संबंध में चैनल व अखबारों में प्रकाशित खबर को हाईकोर्ट में संज्ञान लिया था. रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत ने शराबबंदी लागू कर रखी थी. गांव में रहने वाला अन्

पांडे नामक युवक शराब बेच रहा था और खुद भी शराब पिए हुए था. पंचायत ने अन् के खिलाफ जुमाने की कार्यवाही की थी. गांव में रहने वाले ओबीसी वर्ग के एक युवक ने अन् की फोटो के एआई की मदद से उसे गले में जूतों की माला पहनाते हुए सोशल मीडिया में वायरल कर दी. लोगों की आपत्ति के बाद उसने सोशल मीडिया से मीम हटा दी थी. इस घटना के संबंध में पंचायत हुई और ओबीसी वर्ग के युवक को मंदिर में बुलाया गया. युवक को धेरकर लोगों की भीड़ ने ओबीसी वर्ग के युवक से अन् के पैर धुलवाये. इसके बाद उसका गंदा पानी पीने को मजबूर किया.

गुनी घटना की वीडियो बनाई गयी और विभिन्न चैनलों में दिखाया गया

पूरी घटना की वीडियो बनाई गयी और विभिन्न चैनलों में दिखाया गया. मंदिर के अंदर पीड़ित को धमकी नहीं दी गयी परंतु वह भीड़ से घिरा हुआ था और आदेश का पालन करने मजबूर था. याचिका की सुनवाई के दौरान दमोह जिले के पुलिस अधीक्षक वीडियो काफेसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ धारा 296 तथा 196 1 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि घटना मंदिर के अंदर हुई है.

ग्वालियर की शिविका फिलीपींस में बनीं मिसेज यूनिवर्स ब्यूटी प्रिंसेस

ग्वालियर, 14 अक्टूबर. ग्वालियर के शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय की ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच की पूर्व छात्रा शिविका सिंह बैस ने ओकाडा मनीला फिलिपिन्स में आयोजित हुई मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता-2025 में 120 प्रतियोगियों से कड़ा मुकाबला करते हुए मिसेज यूनिवर्स ब्यूटी प्रिंसेस का खिताब जीता है. शिविका सिंह को मिसेज यूनिवर्स ब्यूटी प्रिंसेस के खिताब के अलावा एक सब टाइटल मिसेज पिलग्रिम्स ड्रीम्स यूनिवर्स 2025 से भी नवाजा गया. उनकी इस उपलब्धि पर तकनीकी शिक्षा विभाग में हर्ष व्यास हैं. तकनीकी शिक्षा आयुक्त अवधेश शर्मा एवं



अन्य अधिकारियों ने शिविका की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है. शिविका सिंह ने महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से वर्ष 2018 में ब्यूटी कल्चर एण्ड कॉस्मेटोलॉजी ब्रांच से डिप्लोमा उत्तीर्ण किया था.

कार्यक्रम सीएम ने आवंटन पत्र सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया

कनकी में 31 हितग्राहियों को उद्यम लगाने 63 भू-खंड आवंटित

बालाघाट, 14 अक्टूबर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से निवेश प्रोत्साहन एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के 237 भू-खण्डों का उद्यमियों को आवंटन पत्र (एलओआई) सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी किया.



इसमें बालाघाट जिले के औद्योगिक क्षेत्र कनकी के 63 भू-खण्ड 31 उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए आवंटित हुए हैं. इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 700

सौधा प्रसारण दिखाया गया. इस कार्यक्रम में बालाघाट जिले के उद्यमी वीडियों काफेंस के माध्यम से जुड़े थे. मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बालाघाट के हितग्राहियों से संवाद भी किया और उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए शुभकामना दी.

इस अवसर पर कलेक्टर मृगाल मीना, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की सदस्य मौसम बिसेन, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक प्रीति मसंकोले, अन्य अधिकारी एवं उद्यमी उपस्थित थे. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने औद्योगिक क्षेत्र कनकी में भू-खण्ड पाने वाले उद्यमी अनिल कुमार गोडवानी व प्रेमचंद गुरनाली, एमएसएमई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले उद्यमी दीपक रामचंदानी व विनोद राहगाडाले तथा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत रेस्टॉरेंट व्यवसाय प्रारंभ करने वाले कॉर्नन कुरेशी व निखिलेश धुवारे से वीडियों काफेंस के माध्यम से चर्चा कर उनके उद्यमों, निवेश की गई राशि एवं उनके परिजनों के बारे में जानकारी ली. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवसल प्रभावित जिले में नए उद्यमियों के इस तरह से आगे आकर उद्यम लगाने और अन्य लोगों को रोजगार देने की सराहना करते हुए कहा कि इससे बालाघाट जिले और प्रदेश के विकास को गति मिलेगी. औद्योगिक क्षेत्र कनकी में जिन उद्यमियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से भू-खण्ड का आवंटन पत्र (एलओआई) जारी किया गया है.

गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

मायके पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप

नरसिंहपुर, 14 अक्टूबर . जिले के गोटेगांव सिविल अस्पताल के पीएम हाउस में मंगलवार सुबह उस वक्त गहमा-गहमी का माहौल बन गया जब एक गर्भवती महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया. मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का आशंका जताई है. मामला गोटेगांव के कंजई गांव का है. मृतका के चाचा तरवुर पटेल ने बताया कि उनकी भतीजी यशवती पटेल उर्फ गौरी (24 वर्ष) पत्नी प्रियांशु करसरिया की सोमवार रात संदिग्ध परिस्थितियों



में मौत हो गई. उन्होंने कहा, हमें ससुराल वालों का फोन आया कि बच्ची की तबीयत खराब है, जब हम अस्पताल पहुंचे तो वह मृत पड़ी थी. अचानक तबीयत बिगड़ना और इतनी जल्दी मौत होना शक पैदा करता है. हमें न्याय चाहिए. गोटेगांव सिविल

अस्पताल के डॉक्टर इंदल सिंह दंडोतिया ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे गर्भवती महिला यशवती को परिजन किसी निजी अस्पताल से लेकर आए, तब तक वह मृत थी. शक को मर्चुरी में रखवाया गया और मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया.